

मेरी संपत्ति मेरा हक़

आत्मनिर्भर पंचायतों से होगा स्वर्णिम भारत का निर्माण



# स्वामित्व

(गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण)







# **SVAMITVA**

(Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas)

भूमि और घरों के स्वामित्व की देश के विकास में एक बड़ी भूमिका है। जब परिसम्पत्ति का रिकॉर्ड है तो नागरिकों में विश्वास उत्पन्न होता है।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

Ownership of land and houses plays a big role in the development of the country. When there is a record of property, citizens gain confidence

- Prime Minister Narendra Modi





1.	माननीय मंत्री का संदेश	1
2.	सचिव, पंचायती राज का संदेश	3
3.	स्वामित्व – एक अवलोकन	5
4.	सुधार की जरूरत	7
5.	व्यापक उद्देश्य	11
6.	कवरेज	13
7.	निगरानी तंत्र	17
8.	प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए कॉर्स नेटवर्क, ड्रोन, बड़े पैमाने पर मानचित्रण (एलएसएम)	21


9.	स्वामित्व स्कीम में विभिन्न चरण एवं इसकी झलक	25
10.	लोगों को मिलने वाले संभावित लाभ	31
11.	ग्रामीण परिवेश को मिलने वाले संभावित लाभ	33
12.	आत्मनिर्भर भारत की ओर	37
13.	स्कीम के लक्ष्य	41
14.	सफलता की कहानियां	45
15.	कार्यान्वयन में सामने आई चुनौतियां एवं आगे का मार्ग	51
15. 16.	î.	51 57
16.		
16. 17.	हितधारक	57

# Table of Contents

1.	Message of the Hon'ble Minister	2
2.	Message of Secretary, Panchayati Raj	4
3.	SVAMITVA - an Overview	6
4.	Need for Reform	8
5.	Broad Objectives	12
6.	Coverage	14
7.	Monitoring Mechanism	28
8.	Technology leveraged CORS Network, Drones, Large Scale Mapping (LSM)	22

9	9.	Various Stages in SVAMITVA Scheme and Its Glimpses	26
	10.	Likely Benefits to the Individuals	32
	11.	Likely Benefits to the Rural Landscape	34
	12.	Towards Atmanirbhar Bharat	38
	13.	Scheme Milestones	42
	14.	Success Stories	46
	15.	Challenges in Implementation & Way Forward	52
	16.	Stakeholders	58
	17.	Property Card Distribution in Pictures	60
	18.	Endorsements	62







कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भारत सरकार



''ग्रामोदय से भारत उदय'' भारत सरकार की समस्त नीतियों और कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य रहा है। हमारा संकल्प और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श ग्राम का स्वप्न वर्ष 2022 तक पूरा किया जाना है, जो भारत की स्वतन्त्रता का 75वां वर्ष होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम—'स्वामित्व' की परिकल्पना की गई और इसका शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर किया गया। इस स्कीम का उद्देश्य ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। यह ग्रामीण भारत में गाँवों के आबादी क्षेत्रों में गृह—स्वामियों को 'अधिकारों का अभिलेख' प्रदान करेगी। इस स्कीम में संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाने, बैंकों से ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त करने और उच्च गुणवत्ता एवं व्यापक विकास योजनाओं की तैयारी के लिए ग्रामीण गृह स्वामियों को सशक्त बनाकर ग्रामीण परिदृश्य को अवमुक्त करने की जबरदस्त क्षमता है।

इस योजना का प्रायोगिक चरण वर्तमान वित्त वर्ष में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है। स्वामित्व स्कीम में वर्ष 2021—25 के दौरान चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को सम्मिलित करने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है। 2481 गांवों में लगभग 3 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। यह योजना सही अर्थों में ग्राम स्वराज स्थापित करने और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नींव का पत्थर साबित हुई है।

कॉफी—टेबल बुक को सरल एवं सारगर्भित स्वरूप में तैयार करने तथा इसमें योजना से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समाहित करने के लिए मैं पंचायती राज मंत्रालय की टीम को बधाई देता हूँ। मैं यह भी आशा करता हूँ कि आगामी वर्षों में देश के सभी राज्यों में इस योजना का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सकेगा।

(नरेन्द्र सिंह तोमर)



Minister of Agriculture & Farmers' Welfare, Rural Development, Panchayati Raj and Food Processing Industries



Shri Narendra Singh Tomar



'Gramoday se Bharat Uday' has been a central theme in all policies and programmes of Government of India. It is our resolve to fulfill dreams of the Father of the Nation-Mahatma Gandhi of ideal villages by the year 2022 that will mark 75th year of India's independence. To achieve this objective, the Central Sector scheme of SVAMITVA has been envisioned and framed which was launched by the Hon'ble Prime Minister on 24th April 2020 on the occasion of National Panchayati Raj Day. The scheme aims to provide an integrated property validation solution for rural India using drone surveying technology. This would provide 'Record of Rights' to village household owners possessing houses in villages in inhabited rural areas. This Scheme has tremendous potential of unlocking rural landscape through empowering rural households to leverage the immovable property as a financial asset for taking loans and other financial benefits from banks, reducing property related disputes and facilitating preparation of better quality and comprehensive development plans.

Pilot Phase of the scheme is being implemented in current financial year in State of Andhra Pradesh, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Uttarakhand. This is being scaled up to cover all Stateds / UTs during 2021-25 in phased manner. So far nearly 3 lakh Property Cards have been distributed in 2481 villages. The Scheme has been the stepping-stone towards achieving Gram Swaraj in true sense and making rural India Atmanirbhar.

I congratulate the team of the Ministry of Panchayati Raj for preparing Coffee Table Book covering various facets of the scheme in simple yet explainable manner and look forward to an effective implementation of the scheme across States in the ensuing years.

(Narendra Singh Tomar)





सचिव पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार







भूमि एक परिसंपत्ति के रूप में अद्वितीय है क्योंकि यह अचल है और बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ इसकी मांग बढ़ती जा रही है जबकि इसकी आपूर्ति सीमित है। भूमि (अथवा भूमि अधिकारों) तक पहुँच आजीविकाओं, आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर व्यापक प्रभाव डालती है।

भूमि अभिलेख, जो आज उपलब्ध हैं, जमीनी स्तर पर स्थिति को नहीं दर्शाते हैं। बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त एक विधिक दस्तावेज की अनुपस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिक स्वयं की संपत्ति का एक वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में लाभ लेने के लिए समर्थ नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में व्यवस्थापन के लिए ग्रामीण भूमि का सर्वेक्षण एवं अधिकारों के अभिलेख जो पिछले 70 वर्ष पहले पूर्ण कर लिए गए थे, ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि को सम्मिलत नहीं किया था।

पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के संयुक्त प्रयासों के साथ ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भूमि पार्सलों की मैंपिंग के द्वारा स्वामित्व स्कीम ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की ओर एक सुधारात्मक कदम है। यह देश भर में समस्त गांवों का संपत्ति सर्वेक्षण कार्यान्वित करने का पहला एक ऐसा अभ्यास है।

इस योजना के लक्ष्य हैं –

- 1 ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के सिविल अधिकारों की रक्षा करना तथा ग्राम पंचायत स्तर पर संपत्ति विवादों और कानूनी मुकदमों को कम करने के लिए संबल के रूप में कार्य करना।
- 2 राज्यों में संपत्ति कर का निर्धारण करने के लिए संबल के रूप में कार्य करना जहां ग्राम पंचायतें राजस्व के स्वयं संसाधन के रूप में वसूली के लिए अधिकृत हैं।
- 3 सार्वजनिक भूमि की पहचान कर अतिक्रमण को रोकना
- 4 उच्च रिजॉल्यूशन (1:500 स्केल) नक्शों के लाभ से भूमि अभिलेखों के सटीक निर्माण द्वारा सक्षम ग्रामीण योजना को सक्रिय करना।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार की गई 'द कॉफी टेबल बुक' अप्रैल, 2020 में इस स्कीम के प्रारम्भ से स्कीम द्वारा की गई प्रगति की एक झलक प्रदान करना चाहती है तथा सामने आई चुनौतियों, प्राप्त ज्ञान, निरीक्षण की गई सर्वोत्तम पद्धतियों एवं सफलता की कहानियाँ जो अब तक सामने आई हैं, को प्रस्तुत करती है।

मैं समस्त पाइलट चरण के राज्यों को इस स्कीम को एक विशाल सफलता बनाने के लिए धन्यवाद देता हूँ और इस स्कीम को बड़ा बनाने में कार्यरत नये राज्यों तथा हितधारकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

(सुनील कुमार)



#### Secretary Ministry of Panchayati Raj Government of India





Land as an asset is unique because it is immovable and with growing population, its demand keeps increasing while its supply is limited. Access to land (or land rights) has a wide-ranging impact on livelihoods, economic and social growth.

Land records, as are available today do not reflect the on-ground position. The owner of the property in the rural areas are not able to leverage their own property as a financial asset in the absence of any legal document reconized by the banks. Moreover, survey of rural land in India for settlement and record of rights, which were last completed about 70 years ago, did not cover inhabited (Abadi) land in rural areas.

SVAMITVA Scheme is a reformative step towards establishment of clear ownership of property in rural inhabited ("Abadi") areas, by mapping of land parcels using drone technology with the collaborative efforts of the Ministry of Panchayati Raj, Survey of India, State Revenue Department, State Panchayati Raj Department, and National Informatics Centre (NIC). This is the first ever such exercise to carry out Property survey of all villages across the country.

The scheme aims to -

- I Protect the civil rights of inhabitants of rural areas and work as an enabler to reduce property disputes and legal cases at Gram Panchayat Level.
- ii Work as an enabler for determining property tax in State where Gram Panchayats are authorised to collect as Own Source of Revenue
- iii Prevent encroachment by identifying public land
- iv Enable efficient rural planning by creation of accurate land records, leveraging the high resolution (1:500 Scale) maps

The Coffee Table Book prepared by Ministry of Panchayati Raj seeks to provide a glimpse of the progress the Scheme has made since its inception in April 2020 and put forward the challenges faced, knowledge gained, best practices observed and success stories that have emerged so far.

I thank all the pilot states for making the scheme a huge success and wish all the best to the new states and stakeholders involved in scaling up the scheme.

(Sunil Kumar)



# स्वामित्व - एक अवलोकन

स्वामित्व (गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण) यह एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम है जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिंनाक 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर किया गया। इस स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों (आबादी) में गाँव के गृह स्वामियों के लिए संपत्ति कार्ड के रूप में 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना है। इससे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों की मुद्रीकरण की सुविधा होगी।

यह पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन तकनीक और कॉर्स नेटवर्क का उपयोग करके भूमि पार्सलों के मानचित्रण द्वारा ग्रामीण आबाद (''आबादी'') क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना के लिए एक परिवर्तनकारी कदम है। यह मंत्रालय पंचायती राज, भारत सरकार द्वारा देश के सभी गांवों की संपत्ति सर्वेक्षण हेतु सबसे पहली कार्रवाई है।





#### **SVAMITVA - an Overview**

SVAMITVA (*Survey of Villages* and *Mapping with Improvised Technology in Village Areas*) It is a *Central Sector Scheme* launched by the Hon'ble Prime Minister on 24<sup>th</sup> April 2020, on the occasion of National Panchayati Raj Day. The scheme aims to provide the 'record of rights' in the form of property cards to village household owners possessing houses in inhabited rural areas (Abadi). This would facilitate monetization of rural residential assets for credit and other financial services.

It is a transformative step towards establishment of clear ownership of property in rural inhabited ("Abadi") areas, by mapping of land parcels using Drone technology and CORS Network with the collaborative efforts of the Ministry of Panchayati Raj, State Revenue Department, State Panchayati Raj Department and Survey of India. This is the first ever such exercise undertaken to carry out property survey of all villages across the country undertaken by the Ministry of Panchayati Raj, Gol.



- आबादी लाल डोरा, ग्राम स्थान राज्य में गांव क्षेत्रों के गैर—सर्वेक्षण इन क्षेत्रों में नगर पालिका स्थलों की तुलना में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का अभाव है।
- संपत्ति के रिकॉर्ड का भारत के ग्रामीण आबादी क्षेत्र के बड़े हिस्सों में कोई अस्तित्व नहीं रहा है जिसके कारण संपत्ति का मालिकाना हक अनुमानित रहा है।
- अधिकांश राज्यों में, आबादी भूमि का सर्वेक्षण कई दशकों पहले किया गया था, जो गाँव की जमीनी हकीकत से बेमेल था, जबिक अन्य में कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया जिसके कारण आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं बन पाया।
- ऐसे क्षेत्रों में संपत्ति या भूमि या तो विरासत में मिली है या बिना किसी विक्रय विलेख या रजिस्ट्री के बेची गई है।

इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों के मालिकों को स्वतंत्र रूप से "आबादी" संपत्तियां खरीदने या बेचने और इसके प्रति वित्तीय ऋण नहीं मिलता।





- Non-survey of abadi, lal dora, gaothan areas in States has led to deprivation of infrastructure and amenities in these areas compared to municipal sites.
- Property records have been non-existent for large parts of India's rural inhabited area leading to presumptive property ownerships.
- In most States, survey of abadi land was undertaken many decades ago leading to mismatch with ground reality of the village, while in others no survey has been undertaken leading to non-existence of official records.
- The property or land in such areas is either inherited or sold without any sale deed or registry.

This consequently blocks the owners of properties in rural inhabited areas to freely buy-sell "abadi" properties or seek financial credit against it.

# सुधारों की आवश्यकता


पारंपरिक सर्वेक्षण तकनीकों को आम तौर पर साधन और शेविंग सर्वेयर के बीच लाइन—ऑफ़—विज़न की आवश्यकता होती है या पूरे क्षेत्रों में ग्राउंड एक्सेस या पूरे क्षेत्र की स्पष्ट विज़न का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए

सर्वेयर को संपत्ति पार्सल का सीमांकन करने के लिए उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है।

#### मैन्युअल/पारम्परिक पद्धति

- श्रमशील
- खर्चीली
- मानवीय और उपकरणीय त्रुटि होने की संभावना

गृहस्वामी को सम्पत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान करने के लिए ग्रामीण गृह स्वामियों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की आवश्यकता है।







## **Need for Reforms**

Traditional surveying techniques generally require lineof-sight between the instrument and roving surveyor, or ground access across areas, or clear vision of whole area to be surveyed.

Surveyor has to move with measuring instruments from one place to another to demarcate property parcels.

#### The manual/conventional methodology is

- Laborious
- Expensive
- Prone to human as well as instrumental errors

To provide the legal right of the property to the household owner, there is a need to leverage technology to provide benefits to the rural households.





# व्यापक उद्देश्य

- ग्राम पंचायत स्तर पर परिसम्पत्ति सम्बन्धी विवादों और कानूनी मामलों में कमी
- किसी भी विभाग द्वारा उपयोग के लिए सर्वेक्षण अवसरंचना एवं जीआईएस मानचित्रण तैयार करने में सहायता करना
- जीआईएस मानचित्रों का उपयोग गुणवत्ता ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी में निर्णय लेने में सक्षम बनाना (जी.पी.डी.पी.)
- सटीक भूमि रिकॉर्ड तैयार करके कुशल ग्रामीण नियोजन को सक्षम बनाना
- ग्रामीण गृह स्वामियों के लिए मान्यता प्राप्त वित्तीय विलेख के रूप में परिसम्पत्ति कार्ड / हक विलेख
- उन राज्यों में पिरसम्पत्ति कर के निर्धारण में सहायक जहां ग्राम पंचायत राजस्व के स्वयं के स्त्रोत का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है।





# **Broad Objectives**



- Reduction in property related disputes and legal cases at Gram Panchayat Level
- Aiding survey infrastructure and GIS maps creation for use by any department
- Enable use of GIS maps in preparation of quality Gram Panchayat Development Plan (GPDP)
- Enabling efficient rural planning by creation of accurate land records
- Property Card/Title Deed as a recognized financial instrument to rural household owners
- Enabler as determinant of property tax in States where Gram Panchayats are authorised to collect as Own Source of Revenue.

# कवरेज वृहद पैमाने पर मानचित्रण एवं कॉर्स




आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कनार्टक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों में शामिल लगभग 50,000 गावों में पायलट चरण



भारत में लगभग 6.62 लाख गांवों का पूर्ण कवरेज और 567 कॉर्स स्टेशनों सहित विस्तारित कॉर्स नेटवर्क की स्थापना

## Coverage

### Large Scale Mapping and CORS




Pilot phase in states of Andhra Pradesh, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Uttarakhand covering nearly 50,000 villages Full coverage of nearly 6.62 lakh villages in India and establishment of an extensive CORS network with 567 CORS stations.

एक सतत संचालन संदर्भ स्टेशन (कॉर्स) नेटवर्क क्षेत्रीय पोजिशनिंग सेवा प्रदान करने के लिए एक अत्याधुनिक उपकरण।

कॉर्स अवसरंचना में, मानचित्र के सुधार तुरंत नियंत्रण केंद्र से रोवर रिसीवर को भेजे जाते हैं जो वास्तविक समय में रोवर की बहुत सटीक स्थिति खोजने में मदद करता है।

कॉर्स कई अनुप्रयोगों में सेंटीमीटर सटीकता की स्थिति हासिल करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, उदाहरण के लिए, कैंडस्ट्राल मैपिंग, भूमि सूचना प्रबंधन, बड़े पैमाने पर मानचित्रण, द्रुतगामी प्रबंधन, निगरानी और नेविगेशन आदि जो अन्यथा पारंपरिक तरीकों से संभव नहीं है







वर्ष 2020—21 के दौरान हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान राज्यों में 210 कॉर्स स्टेशनों की स्थापना।



A Continuously Operating Reference Stations (CORS) network provides regional positioning service

In CORS Infrastructure, the corrections to the map are instantly sent to the rover receiver from control centre which helps to find very accurate positioning of rover in real time.

CORS plays a major role in achieving centimetre accuracy positioning in many applications, for example, cadastral mapping, land information management, large scale mapping, fleet management, tracking and navigation etc which is otherwise not possible with traditional methods.


Establishment of 210 CORS stations in the States of Haryana, Madhya Pradesh, Punjab and Rajasthan during 2020-21






# निगरानी तंत्र







#### **Monitoring Mechanism**



Level



भारतीय सर्वेक्षण विभाग और एनआईसी का प्रदर्शन की समीक्षा करने और समय पर अड़चनों / कठिनाईयों को दूर करने के लिए राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियमित रूप से बातचीत



#### ऑनलाइन डैशबोर्ड-

स्वामित्व कार्यान्वयन की वास्तविक समय की प्रगति की निगरानी के लिए एक केंद्रीयकृत ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड



#### ड्रोन उपयोगिता मैट्रिक

सर्वेक्षण के लिए गांवों के प्रभावी कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए समग्र स्तरों पर विभिन्न राज्यों द्वारा ड्रोन के उपयोग की तुलना करने के लिए एक मैट्रिक्स। राज्यों के बीच ड्रोन का पुनः आबंटन उपयोगिता स्कोर के आधार पर किया जाएगा

# निगरानी तंत्र



#### **Online Dashboard**

A centralized online monitoring and reporting dashboard for real-time progress monitoring of SVAMITVA implementation



#### **Drone Matrix**

A matrix to compare drone utilization by various states at an aggregate level for reallocation and to ensure effective coverage of villages for surveying.





# **Monitoring Mechanism**





#### ग्रामीण आबादी क्षेत्र का बड़े पैमाने पर मानचित्रण

- प्रोफेशनल सर्वेक्षण ग्रेड ड्रोन हाइब्रिड वर्टिकल टेक—ऑफ एवं लैंडिंग (वीटीओएल) तकनीक का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर मानचित्रण प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले अपेक्षित आंकड़ा प्राप्ति को तेज करने के लिए कॉर्स नेटवर्क के साथ संयोजन।
- हाई-रिज़ोल्यूशन की छवियां / तस्वीरें समुदाय के सदस्यों को आसानी से अपने स्वयं के लॉटस पहचानने और अपने कार्य क्षेत्रों के आयामों को देखने में सक्षम बनाती हैं।

# प्रौद्योगिकी का लाभ

कॉर्स नेटवर्क ड्रोन बड़े पैमाने पर मानचित्रण (एल.एस.एम.)

- ड्रोन का उपयोग करके आयोजित सर्वेक्षण और उड़ान के दौरान कैप्चर की गई छिवयों के सटीक प्रक्षेपण केंद्र और अभिविन्यास प्रदान करने के लिए 5 सेमी से अधिक सटीकता की छिव कैप्चिरिंग के साथ 1: 500 पैमाने पर हाई रिजोल्यूशन आरजीबी सेंसर का उपयोग करके व्यावसायिक सर्वेक्षण किया गया।
- इन मानचित्रों के आधार पर ग्रामीण गृह स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे।



#### **Large Scale Mapping using Drones:**

- Professional survey grade Drones using hybrid Vertical Takeoff and Landing (VTOL) technology in conjunction with CORS network to expedite the data acquisition used for large scale mapping purposes.
- The high-resolution images enable community members to easily recognize their own lots and view the dimensions of their work areas
- Survey conducted using Professional Survey Grade Drones and use high resolution RGB sensor on 1:500 scale with image capturing of better than 5 cm accuracy to provide accurate projection centre and orientation of the images captured during the flying
- Based on these maps, property cards would be issued to the rural household owners.



सार्वजनिक अवसरंचना के रूप में 567 सतत संचालन संदर्भ स्टेशन (कॉर्स) नेटवर्क की स्थापना। क्षेत्रीय स्थिति सेवा प्रदान करने के लिए कॉर्स एक भू—स्थिति अवसंरचना है।

कॉर्स नेटवर्क ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स की स्थापना में सहायता करता है, जो भू—संदर्भित, ग्राउंड—ट्रूथिंग और भूमि के सीमांकन के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। यह कॉर्स नेटवर्क का उपयोग कर अन्य विभागीय स्कीमों के लिए अधिक लाभकारी होगा।

#### उन्नत योजना और दीर्घकालीन रोकथाम / आपदा निवारण उपाय

- पर्याप्त आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था और आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों को दुरस्त रखना। क्षेत्र में रहने वाले प्रभावित होने वाले लोगों का आकलन और सुविधाओं की व्यवस्था करना। मुआवजे का आकलन में सहायता, यदि कोई हो, तो।
- बाढ़ से रक्षा के लिए तटबंधों के निर्माण, सूखे की प्रूफिंग उपायों के रूप में सिंचाई की सुविधा, भूस्खलन की घटनाओं को कम करने के लिए वृक्षारोपण, उचित भूमि उपयोग योजना आदि जैसे उपायों की अग्रिम योजना।




Establishment of 567 Continuous Operating Reference station (CORS) network as Public Infrastructure. CORS provides regional positioning service. The CORS Network supports in establishing Ground Control Points, which is an important activity for accurate Georeferencing, ground truthing and demarcation of Lands. This will create further spill over benefits for other departmental schemes using CORS network.


Advance planning and provisioning of long term prevention / disaster mitigation measures

- Provisioning of adequate emergency services and upkeep of disaster management inventories. Assessment of likely affected people residing in the area and arranging facilities. Assist in assessment of compensation if any.
- Advance planning of measures such as construction of embankments against floods, irrigation facilities as drought proofing measures, plantation to reduce the occurrences of landslides, proper land use planning etc.

# स्वामित्व स्कीम में विभिन्न चरण एवं इसकी झलक




# Various Stages in SVAMITVA Scheme & its Glimpses



# स्वामित्व स्कीम में विभिन्न चरण एवं इसकी झलक



# Various Stages in SVAMITVA Scheme & its Glimpses





देश ने ठान लिया है कि गांव और गरीब को आत्मनिर्भर बनाना, भारत के सामर्थ्य की पहचान बनाना है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए स्वामित्व योजना की भूमिका बहुत बड़ी है।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

The country is determined to make the villages and the poor self-reliant, to realize the potential of India. The role of SVAMITVA Scheme is very big for the accomplishment of this resolution

- Prime Minister Narendra Modi



## लोगों को मिलने वाले संभावित लाभ

- गृह स्वामियों को परिसम्पत्तियों का "स्वामित्व अधिकार" देना
- स्थानीय स्तर पर परिसम्पत्ति विवाद के सौहादपूर्ण निपटान में मदद मिलेगी
- संस्थागत बैंक ऋण एवं अन्य वित्तीय लाभ लेने में मदद
- बेहतर सर्वेक्षण, विशेष रूप से निर्धारित परिसम्पत्ति कर के माध्यम से गांवों के निवासियों के लिए सुविधाओं और अवसरंचना हेतु बेहतर पहुंच

स्वामित्व अभिलेख मिलने से खुशी का माहौल बना हुआ है। इस योजना से किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ अभिलेख वितरण में। हमें ड्रोन टेक्नोलोजी पर पूर्ण विश्वास है। सुरेश चन्द्र, निवासी पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड



## **Likely Benefits to the Individuals**

Residents of the village are happy upon recieving SVAMITVA abhilekh. There was no dispute during the preparation of property cards. Residents have complete trust in the use of Drone Technology Suresh Chandra, Resident of Pauri Garhwal, Uttarakhand

- 'Ownership Rights' over properties to household owners.
- Facilitate settlement of property disputes amicably at local level
- Enable availing of institutional bank loans and other financial benefits
- Better access to amenities and infrastructure for residents of villages through accurate surveys, objectively determined property tax and easily updated records.



# ग्रामीण परिवेश को मिलने वाले संभावित लाभ

#### समावेशी समाज

आवासीय एवं भू संसाधन हेतु अधिकारों के रिकॉर्ड एवं समान पहुंच के पुष्टिकरण के माध्यम से अधिकार वंचितों का सामाजिक आर्थिक उत्थान।

### आर्थिक संवर्द्धन

ग्राम पंचायतों में संग्रहण किए गए परिसम्पत्ति कर में वृद्धि जहां गृह सम्पत्ति स्वामित्व के बेहतर सीमांकन और विकास के लिए सर्किल दर के कारण विकास हुआ।





## Likely Benefits to the Rural Landscape

#### **Inclusive Society**

Socio Economic Upliftment of the marginalized through conferment of Record of Rights and equitable access to housing and land resources

#### **Economic Growth**

Increase in property tax collected at Gram Panchayats wherever devolved through better demarcation of household property ownership and circle rates leading to development



## भूमि गवर्नें स

भूमि और आवासीय क्षेत्रों के स्पष्ट सीमांकन द्वारा ग्राम पंचायत में भूमि विवाद के मामलों में कमी करके भूमि एवं आवासीय बाजार का नियमितिकरण

#### सतत वास

हाई रिजोल्यूशन डिजीटल मानचित्रों का लाभ उठाते हुए बेहतर ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) के माध्यम से अवसरंचना एवं सुविधाओं तक पहुंच



#### **Land Governance**

Regularized land and housing market through minimizing land dispute cases at Gram Panchayat by clear demarcation of land and residential areas

#### **Sustainable Habitats**

Access to infrastructure and amenities through better Gram Panchayat Development Plans (GPDP) leveraging high resolution digital maps



## आत्मनिर्भर भारत की ओर

स्वामित्व स्कीम के तहत ड्रोनों की जरूरतों ने भारत में ड्रोन विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान किया है।

मूल उपकरण विर्निमाताओं ने अब सर्वेक्षण ग्रेड ड्रोन विकसित किए हैं और ''मेक इन इंडिया'' ड्रोन कंपनियों को 175 ड्रोनों की आपूर्ति की है।

इस स्कीम के प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन साझेदार (भारतीय सर्वेक्षण विभाग) स्कीम के लक्ष्यों को हासिल करने हेतु उत्साह से कार्य कर रहा है।







## **Towards Atmanirbhar Bharat**

The requirements for drones under SVAMITVA scheme has provided an impetus to **the Drone Manufacturing** sector in India.

The Original Equipment Manufacturers (OEMs) have now developed Survey Grade Drones and supply for 175 units had been given to "Make in India" drone companies.

The technology implementation partner (Survey of India) for the scheme has been working arduously to achieve Scheme targets.

**Boosting the Drone Ecosystem in India** 





# स्कीम की उपलब्धियाँ



11 अक्टूबर, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री ने हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के 763 गांवों में लगभग 1 लाख परिसम्पत्ति स्वामियों को परिसम्पत्ति कॉर्डों के भौतिक वितरण का शुभारंभ किया।



## **Scheme Milestones**





आज जिन एक लाख लोगों को अपने घरों का स्वामित्व पत्र या प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, जिन्होंने अपना कार्ड डाउनलोड किया है, उन्हें मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं: PM @narendramodi #SampatiSeSampanta



आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा दिया है।

स्वामित्व योजना, गांव में रहने वाले हमारे भाई-बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है: PM @narendramodi #SampatiSeSampanta

On 11<sup>th</sup> October 2020, the Hon'ble Prime Minister launched physical distribution of Property Cards to about 1 lakh Property Owners of 763 villages in States of Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh and Uttarakhand.

#### पहला लक्ष्य – 11 अक्टूबर , 2020

- माननीय प्रधानमंत्री ने केंद्रीय पंचायती राज मंत्री, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ छह पायलट चरणों वाले राज्यों के 763 गांवों में लगभग 1 लाख की संपत्ति के मालिकों को सम्पत्ति कार्ड / हक विलेख प्रदान करके सम्पत्ति कार्ड / हक विलेख के भौतिक वितरण का शुभारंभ किया।
- सम्पत्ति कार्ड प्राप्त करने वालों के पहले बैच में से कुछेक पहले से स्थापित बैंकों से जारी किए गए सम्पत्ति कार्डों / हक विलेख के प्रति ऋण प्राप्त करने में सक्षम रहे।

2

#### दूसरा लक्ष्य– 25 दिसम्बर, 2020

हरियाणा (94 गांवों), उत्तराखंड (205 गांवों) और उत्तर प्रदेश (232 गांवों) राज्यों के 531 गांवों में 41942 सम्पत्ति कार्ड वितरित किए गए। तीसरा लक्ष्य — 26 जनवरी, 2021 उत्तराखंड में 131 गांवों में 3081 सम्पत्ति कार्ड वितरित किए गए। 4

चौथा लक्ष्य — 24 अप्रैल, 2021 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्कीम का शुभारंभ

3

## FIRST MILESTONE 11<sup>th</sup> October 2020

- Hon'ble Prime Minister along with the Union Minister of Panchayati Raj, Chief Ministers of UP, Uttarakhand, Haryana and Madhya Pradesh launched the physical distribution of Property Cards/ Title Deeds in 763 villages of Six Pilot Phase States, providing Property card/ Title Deeds to nearly 1 lakh Property Owners
- Out of the first batch of recipients of Property Cards, a few have already been able to secure loans against the Property Cards/ Title Deeds issued to them from established banks

THIRD MILESTONE 26th January 2021

3081 property cards in 131 villages distributed in Uttarakhand.

FOURTH MILESTONE 24th April 2021

National launch of the scheme by the Hon'ble Prime Minister

## SECOND MILESTONE 25th December 2020

41942 Property Cards distributed in 531 villages of State of Haryana (94 villages), Uttarakhand (205 villages) and Uttar Pradesh (232 villages)

3

# सफलता की कहानियां

20 साल पहले मेरे पित की मृत्यु हो गयी थी। तबसे छोटा मोटा रोजगार कर घर का पेट पालती थी। आज मुझे इस स्कीम से पुरखों की ज़मीन के पक्के कागज़ मिल गए है तो अब आराम है। इसके अलावा बीस हज़ार का लोन भी मिल गया है जिस से हम अपना रोज़गार बढ़ाएंगे।

श्रीमती रामरती, निवासी मौहम्मदपुर चौकी, बाराबंकी

इन्होनें घर की मरम्मत के लिए 20,000/— रूपए का ऋण लेने के लिए वित्तीय विलेख के रूप में अपने सम्पत्ति कार्ड का उपयोग किया और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक हाथगाड़ी खरीदी।











## **Success Stories**

My husband died 20 years ago. Since then, I used to do small petty jobs and make a living for the house. Today I have got the papers of forefathers' property with this scheme, so now there is ease. Apart from this, a loan of Rupees Twenty Thousand has also been given, by which I will increase my business.

-Smt. Ramrati, Resident of Mohammadpur Chowki, Barabanki, Uttar Pradesh She used her property card as a financial instrument for availing loan of Rs.20,000 for repair of house and purchase of a hand cart to further augment her business.

बिलाका गांव, ब्लॉक सोहना, जिला गुरूग्राम के एक किसान श्री लिखी चन्द हरियाणा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से 5 लाख रूपए का ऋण हासिल कर पाए हैं और उन्होंने अपने घर का निर्माण शुरू किया है।


मध्य प्रदेश के हर्दा जिले के अबगांव कलां गांव के श्री राम भरोसे विश्वकर्मा ने स्वामित्व स्कीम के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के प्रति सम्पत्ति कार्ड के आधार पर 21.14 लाख रूपए का मुआवजा प्राप्त किया।




Sh. Likhi Chand, a farmer from village Billaka, block Sohna of district Gurugram of Haryana has been able to secure a loan of Rs. 5 lakhs from a Haryana public sector bank, and has commenced the construction of his house.

Sh.Rambharose Vishvakarma of village Abgaonkala of Harda district of Madhya Pradesh received a compensation of Rs.21.14 lakh on the basis of Property card under SVAMITVA Scheme against the land acquired for the building of National highway







# कार्यान्वयन में चुनौतियां एवं आगे का मार्ग

## ड्रोन सर्वेक्षण और आकृति निकासी (एफई) प्रक्रिया के लिए कुशल जनशक्ति की कमी

- पड़ोसी राज्यों के भारतीय सर्वेक्षण विभाग कार्यालय को कार्य में लगाए गए
- स्कीम की शुरूआत के बाद से भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्यों के एसोसिएटेड फील्ड पदाधिकारियों को अधिकार दिए जा रहे हैं
- वर्तमान में, 600 जीआईएस डिजिटाइजर एफई प्रक्रिया के लिए लगे हुए हैं और इन्हें और मजबूत बनाया जा रहा है

## निगरानी तंत्र

भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्यों के डैशबोर्ड के साथ वास्तविक समय की निगरानी और एकीकरण के लिए स्वामित्व डैशबोर्ड का निर्माण



## Challenges in Implementation & Way Forward



#### Lack of Skilled Manpower for Drone Survey and Feature Extraction (FE) Process

- Sol offices of neighbouring States engaged
- Associated field functionaries of SoI and States being capacitated since Scheme inception of scheme
- Currently, 600 GIS digitizers engaged for FE process and are being strengthened further

#### **Monitoring Mechanism**

Creation of SVAMITVA Dashboard for real-time monitoring and integration with SoI and States dashboard



वर्तमान में पायलट चरण के राज्यों में 162 ड्रोन तैनात हैं

500 ड्रोन टीमों की उम्मीद।

सीएआर दिशानिर्देशों के तहत फ्लाइंग/ उड़ान संबंधी अनुमतियां और छूट।

सभी ड्रोन से संबंधित मामलों के लिए डीजीसीए द्वारा एक ड्रोन निदेशालय की स्थापना ड्रोन फ्लाइंग के लिए रक्षा मंत्रालय से क्लियरेंस, एटीएस प्राधिकारियों द्वारा क्लीयरेंस, ड्रोन द्वारा कैप्चर किए गए आंकड़ों की पुनरीक्षा करना

रक्षा मंत्रालय के एसपीसीसी प्रभाग ने स्वामित्व आवश्यकताओं के संबंध में चेताया



Currently 162 drones deployed in the Pilot phase states

Flying Permissions and Exemptions under CAR guidelines

MOD Permission for Drone Flying, Clearance by ATS authorities, vetting of the drone captured data.

Expected 500 Drone teams

A Drone Directorate established by DGCA for all Drone related matters

SPCC division in MoD sensitized with SVAMITVA requirements

### भारतीय सर्वेक्षण विभाग कार्यालयों और राज्यों (जिलों) के बीच स्थानिक मानचित्रों के आदान—प्रदान में समय की बहुत अधिक देरी

- मध्य प्रदेश राज्य मानचित्रों के मुद्रण के लिए स्वयं के मुद्रण बुनियादी ढांचे का उपयोग कर रहा है और मानचित्र सुधार के लिए जिलों के अधिकारियों को भेजा जाता है
- उत्तर प्रदेश द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा आपूर्ति किए गए नक्शों की हार्ड कॉपी के अलावा उपयोग किए गए नक्शों की सॉफ्ट कॉपी का उपयोग किया गया।
- आकृति निकासी मानचित्र सही करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सारथी अनुप्रयोग विकसित किया गया। सारथी पायलट कार्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा में चल रहा है।

#### फील्ड स्तर पर स्कीम की समझ का अभाव।

- डीसी / डीएम और पंचायती राज और राजस्व विभागों के अधिकारियों के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण आयोजित किए गए
- राज्यों को मानक संचालन प्रक्रिया प्रदान की गई
- मध्य प्रदेश द्वारा "मार्गदर्शिका" तैयार की गई है। इसे सभी राज्यों के साथ साझा किया गया जो क्षेत्रीय भाषा में चरणबद्ध प्रक्रियाओं का विवरण देती है
- राज्य में आईईसी गतिविधियों का कार्यान्वयन
- एनआईआरडी एवं पीआर द्वारा तैयार चार भाषाओं (हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ और मराठी) में वीडियो प्रशिक्षण स्वामित्व डैशबोर्ड पर उपलब्ध






# Crucial time delays in exchange of spatial maps between Sol offices and States (districts)

- Madhya Pradesh State using own printing infrastructure for printing the maps and supplied to districts officials for map correction
- Soft copy of maps used by Uttar Pradesh, in addition to Hard copy of maps supplied by Sol
- SARATHI application developed by Sol for facilitating feature extracted map correction

#### Lack of Scheme understanding at field level.

- Orientation trainings organized for the DCs/DMs and officials of Panchayati Raj and Revenue Departments
- Standard Operating Procedure provided to States
- "Margdarshika" prepared by Madhya Pradesh, detailing out the stepwise processes in regional language shared with all States
- Implementation of IEC activities in the State
- Training videos in four languages (Hindi, English, Kannada and Marathi) prepared by NIRDPR; available on SVAMITVA Dashboard





## सम्पत्ति कार्ड वितरण की तस्वीरें

दिनांक 26 जनवरी, 2021 को पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में सम्पत्ति कार्ड का वितरण



दिनांक 16.03.2021 तक हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों के 2481 गांवों में लगभग 3.08 लाख सम्पत्ति कार्ड/हक विलेख जारी किए गए हैं।

दिनांक 12 फरवरी, 2021 को उत्तर प्रदेश में सम्पत्ति कार्ड का वितरण। 1001 गांवों में 1.57,244 लाभार्थियों को सम्पत्ति कार्ड / घरौनी मिली





# Property Card Distribution in Pictures

Property card distribution in Uttar Pradesh on 12th Feb 2021. 1,57,244 beneficiaries received property cards /ghaurani in 1001 Villages

# अनुलेखन

#### भारत के माननीय प्रधानमंत्री



#### Hon'ble Prime Minister of India

## **Endorsements**





# अनुलेखन



## Hon'ble Minister of Panchayati Raj

## **Endorsements**







# अनुलेखन





माननीय कानून और न्याय, इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री माननीय पर्यावरण मंत्री

## **Endorsements**



Hon'ble Chief Minister, Uttar Pradesh





Hon'ble Chief Minister, Haryana

# अनुलेखन





## माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

## **Endorsements**





Hon'ble Chief Minister, Uttarakhand



## पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार Ministry of Panchayati Raj Government of India